भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1227

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पशु क्रूरता के बढ़ते मामले

1227. सुश्री सयानी घोषः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (पीसीए अधिनियम) के अंतर्गत किए गए अपराधों, जो पशुओं के प्रति क्रूरता और पारस्परिक हिंसा के बीच संबंध के प्रति समझ को सीमित करता है, को शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा एनसीआरबी की रिपोर्टों में ऐसे अपराधों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या व्यापक जन समर्थन के बावजूद पीसीए (संशोधन) विधेयक, 2022 का प्रारूप अभी तक संसद के पटल पर नहीं रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) क्या सरकार कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए उक्त विधेयक को संसद के पटल पर रखने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क)और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत आने वाले अपराध शामिल नहीं हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड राज्य पुलिस विभाग को रिपोर्ट कर रहा है जो बदले में भारतीय दंड संहिता के तहत उस अपराध को दर्ज करता है।

(ग) और (घ) मसौदा विधेयक हितधारकों के परामर्श के अधीन है।

***